न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द

(श्री राकेश कुमार आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

रेफरेन्स प्रार्थना पत्र संख्या :— 01/2019 (901/06)
दायर दिनांक :— 01/02/2019
निर्णय दिनांक :— 29/11/2019

अनवान

1— राज्य सरकार जरीये तहसीलदार देवगढ

प्रार्थी

बनाम

1— श्री राकेश कुमार पिता शान्तीलाल महाजन निवासी देवगढ
2— श्री सुनील कुमार पिता शान्तीलाल महाजन निवासी देवगढ

अप्रार्थी

रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :—

1— श्री कैलाश चन्द्र बोलिया, राजकीय अधिवक्ता ।
2— श्री अनिल जोशी, अधिवक्ता अप्रार्थी।

—:: निर्णय ::—

माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा निगरानी अन्तर्गत धारा 84 भू—राजस्व अधिनियम के विरूद्व निर्णय दिनांक 24.02.2009 को निरस्त कर प्रकरण पुनःपरीक्षण करने हेतु इस न्यायालय में भिजवाया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी तहसीलदार, देवगढ ने माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर की खण्ड पीठ ने रिट पिटिशन नम्बर 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार के निर्णय दिनांक 02—08—04 की पालना में यह रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेवाड सेटलमेंट की नकल जमाबन्दी 2022 से 2025 में ग्राम कलालों की आंती तहसील देवगढ की आ0न0 40 रकबा 13 बीघा 07 बीस्वा भूमि बिलानाम सरकार किस्म नदी गैर मुमकीन राजस्व रेकार्ड में अंकित थी।

जमाबंदी संवत 2022 से 2025 के बाद उक्त भूमि किस्म गैर मुमकीन नदी में नामान्तकरण संख्या 942 से आ0न0 40/2 रकबा 0.02 बीघा भूमि किस्म नदी श्री राकेश कुमार पिता शान्तीलाल महाजन, श्री सुनील कुमार पिता शान्तीलाल महाजन निवासी देवगढ के नाम पर उपखण्ड अधिकारी, भीम के आदेश दिनांक 10.06.1999 से दस वर्ष की लीज पर गैर खातेदारी हक से जमाबन्दी सम्वत् 2058 से 2061 दर्ज रेकार्ड है।

अप्रार्थी के नाम दर्ज उपरोक्त वर्णित भूमि मूलतः किस्म बिलानाम गैर काबिल काश्त नदी होकर यह भूमि गैर मूमकिन श्रेणी की होने से धारा 16 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 के अन्तर्गत आवंटन/नियमन अथवा खातेदारी/गैरखातेदारी हक से राजस्व अभिलेख में अंकन के लिये प्रतिबन्धित थी। अतः अप्रार्थीगण को किया गया आवंटन प्रारम्भ से ही शून्य है। माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर की खण्डपीठ ने रिट पिटिशन नम्बर 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार के आदेश दिनांक 02—08—2004 में उक्त भूमियों पर दिये गये खातेदारी अधिकारों को निरस्त कराने के निर्देश है। अतः अप्रार्थीगण के नाम अंकित भूमि को अप्रार्थीगण के नाम से हटाकर पुनः बिलानाम गैर काबिल काश्त नदी अंकित किया जावे।

माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा निगरानी अन्तर्गत धारा 84 भू—राजस्व अधिनियम के विरूद्व निर्णय दिनांक 24.02.2009 को निरस्त कर प्रकरण पुनःपरीक्षण करने हेतु दर्ज रजिस्टर किया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
जिला-राजसमन्द

तहसीलदार देवगढ, द्वारा संशोधन का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 में कार्यवाही करने हेतु पेश किया गया जिस पर अप्रार्थीगण को सूना गया। प्रार्थी को न्यायालय में चलने वाले किसी प्रार्थना पत्र या अपील आदि में संशोधित प्रार्थना पत्र पेश करने का अधिकार है, जिसकी विपक्षी को विधीवत सूचना दिया जाना आवश्यक है। प्रार्थी के संशाधित प्रार्थना पत्र पर दिनांक 19.11.2008 को अलग से आदेश दिया जा चुका है जिसमें संशोधित प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जा चुका है।

अप्रार्थीगण द्वारा नोटिस का जवाब प्रस्तुत कर अंकित किया कि अप्रार्थीगण को यह आंवटन राजस्थान भू–राजस्व (सिचांई प्रयोजनार्थ कुआ खोदने के लिये भूमि आवंटन) नियम 1979 के तहत पट्टै पर आंवटन कि गयी है। इसलिए प्रस्तुत मामले में पटटा निरस्त करने के अलावा अन्य कार्यवाही नहीं की जा सकती। प्रस्तुत पट्टा राज0 भू–राजस्व (कुआ खोदने के लिए भूमि आवंटन) नियम 1979 के नियम 13 के तहत ही निरस्त किया जा सकता है। अन्य कोई नियम इस आवंटन को निरस्त कराने के लिए प्रभावी नही है। यह आवंटन रेफरेन्स के द्वारा निरस्त नहीं किया जा सकता। प्रस्तुत मामले में प्रार्थर्भ तहसीलदार की स्थिति ''फक्टसओफिसियों'' होने की वजह से यह कार्यवाही करने हेतु अधिकृत नहीं है। अप्रार्थी को पट्टा एक निश्चित समयावधि के लिए शुल्क जमा कर दिया गया है जिसे सिविल न्यायालय द्वारा विधिक प्रावधानों के अनुसार ही निरस्त किया जा सकता है। रेफरेन्स के माध्यम से की गयी यह कार्यवाही अवैधानिक है। अतः प्रस्तुत रेफरेन्स निरस्त फरमाया जावें। अप्रार्थी क्षरा अपने विशेष कथन में यह भी कहा कि उसके द्वारा काफभ् रूपया खर्च कर कुआ बनवाया तथ्ज्ञा जमीन को समतल कर उपजाउ बनाने में भी काफी रूपया खर्च किया है। सिंचाई के लिए विद्युत मोटर लगवाई तथा पाईप लाईन बिछाई जिसमें काफी रूपया खर्च हो चुका है। प्रार्थी का रेफरेन्स प्रार्थना पत्र विधी सम्मत नहीं है। अतः प्रस्तुत रेफरेन्स निरस्त फरमाया जावें।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी तथा मामले पर गुणदोष के आधार पर विचार किया गया। राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान बताया कि अप्रार्थीगण के नाम पर दर्ज वादग्रस्त भूमि की मूलतः किस्म बिलानाम गैर काबिल काश्त नदी होकर यह भूमि गेर मुमकिन श्रेणी की होने से धारा राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 के अन्तर्गत आवंटन/नियमन अथवा खातेदारी/गैरखातेदारी हक से राजस्व अभिलेख में अंकन के लिये प्रतिबन्धित थी। इसलिए प्रश्नगत भूमि का अप्रार्थीगण को किया गया आवंटन प्रारम्भ से ही शून्य है, माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर की खण्डपीठ ने रिट पिटिशन नम्बर 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में आदेश दिनांक 02.08.2004 में उक्त भूमियों पर दिये गये खातेदारी अधिकारों को निरस्त कराने के निर्देश है। न्यायालय के निर्णय की पालना में तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स पेश किया जो उचित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि को हटाकर पुनः बिलानाम गैर काबिल काश्त नदी अंकित किया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने प्रार्थी अधिवक्ता की बहस का जवाब देते हुए कहा कि प्रश्नगत भूमि उसे उपखण्ड अधिकारी द्वारा राज0 भू राजस्व(सिंचाई एवं पम्पिंग सेट्स हेतु कुंआ खोदने हेतु भूमि का आवंटन) नियम 1979 के संशोधित नियम 12 ए के तहत 10 वर्ष की लीज पर कुए के लिए किमतन भूमि का नियमन किया गया और आवंटी को पट्टे पर दी गयी है। प्रस्ततु मामले में अप्रार्थी का आवंटनकर्ता राज्य सरकार का कान्ट्रेक्ट है जिसे इस प्रकार रेफरेन्स के द्वारा खारीज नहीं किया जा सकता। यह आवंटन राज0 भू–राजस्व (सिंचाई प्रयोजनार्थ कुए खोदने के लिए भूमि का आवंटन) नियम 1979 के नियम 13 के तहत ही निरस्त किया जा सकता है। रेफरेन्स के द्वारा यह आवंटन निरस्त नही किया जा सकता। तहसीलदार देवगढ की स्थिति ''फक्टस ओफिसियों'' होने के कारण यह कार्यवाही करने हेतु अधिकृत नहीं है। विधिक प्रावधानों के अनुसार पट्टे में वर्णित समय अवधि के अवसान से पूर्व जारी पट्टा सिविल न्यायालय द्वारा ही निरस्त करवाया जा सकता है। अतः प्रस्तुत रेफरेन्स चलने योग्य नहीं है।

अप्रार्थीगण को वादग्रस्त भूमि कुए के लिए आंवटन होने के पश्चात उसके द्वारा बहुत मेहनत कर काफी रूपया खर्च कर भूमि को समतल किया है। कुए पर विद्युत कनेक्शन कर मोटर लगायी है भूमि के चार दिवारी बनाई है। भूमि पर फलदार वृक्ष लगाये है इस भूमि पर किसान क्रेडिट कार्ड पर लोन ले रखा है। यदि कुए का आंवटन निरस्त कर दिया जाता है तो उसके द्वारा लोन का भुगतान किया जाना भी सम्भव नहीं हो पायेगा। इस कुए और कुए से सिंचित होने वाली भूमि से उसकी आजीविका चलती है और वह उसी पर निर्भर है। यदि कुंआ निरस्त कर दिया जाता है तो वह बरबाद हो जायेगा। अतः रेफरेन्स प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावें।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर की खण्ड पीठ ने रिट पिटिशन नम्बर 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार के निर्णय दिनांक 02/08/04 के बिन्दु संख्या 04 में राजस्व स्वामित्व की झील व अन्य जलाशयों के खातेदारी भूमि के अर्जन के संबंध में निर्देश दिये है कि राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत ऐसी गैर मुमकीन दर्ज झील, तालाब आदि जलाशयों की भूमियों पर निजी खातेदारी दर्ज है तो उक्त कार्यवाही राज0 भू–राजस्व अधिनियम,1956 की धारा, 82 के प्रावधानों के विपरित है, अतः धारा 82 राज0 भू–राजस्व अधिनियम,1956 के अन्तर्गत ऐसी भूमियों पर दी गयी निजी खातेदारी निरस्त की जानी चाहिए।

अप्रार्थीगणों को प्रश्नगत भूमि कुए के लिए लीज पर आवंटन की गयी है। वक्त आवंटन और इससे पूर्व भूमि कि किस्म राजस्व रेकार्ड में गैर मुमकिन नदी अंकित थी जो आवंटन और इससे पूर्व भूमि कि किस्म राजस्व रेकार्ड में गैर मुमकिन नदी अंकित थी जो आंवटन के लिए किसी भी रूप में उपलब्ध नहीं होती है इसलिए अप्रार्थी को किया गया आवंटन प्रारम्भ से ही शुन्य है। अधिवक्ता अप्रार्थी का यह कहना कि प्रश्नगत भूमि कुए के लिए लीज पर दी गयी है और लीज के अलग से नियम है। लीज पर दी गयी भूमि आवंटन की श्रेणी में नहीं आती है। इस संबंध में न्यायालय का यह अभिमत है कि भूमि अप्रार्थी को लीज पर आंवटन की गयी है अर्थात भूमि आवंटन की श्रेणी में ही आती है। अतः प्रस्तुत प्रकरण इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है।

राजकीय अधिवक्ता का तर्क हैं कि धारा 82 राज0 भू–राजस्व अधिनियम,1956 के अन्तर्गत ऐसी समस्त भूमियां राज्य सरकार की सम्पति है तथा ऐसी भूमियों पर निहित समस्त अधिकार राज्य की सम्पति घोषित है। अतः अप्रार्थीगण के नाम पर इस भूमि का किया गया अंकन विधि विपरित है, जो माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 02.08.2004 के निर्देशों में एवं धारा 82 आर0एल0आर0 एक्ट 1956 एवं धारा 16 आर0टी0ए0 1955 के प्रावधानों के अन्तर्गत निरस्त किये जाने योग्य है। अतः धारा 82 राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत ऐसी भूमियों पर दी गयी निजी खातेदार निरस्त की जानी चाहिये। उक्त भूमि खातेदारों के नाम से हटा कर पुनः बिलानाम गैर काबिल कास्त नदी दर्ज करवायी जाने हेतु रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे । अप्रार्थी गण के नाम अंकित भूमि को अप्रार्थीगण के नाम से हटा कर पुनः बिलानाम गैर काबिल कास्त नदी अंकित किया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा ऐसे कोई तर्क, ठोस आधार या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जिसके आधार पर रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं हो।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर ग्राम कलालों की आंती तहसील देवगढ की आ0न0 40/2 रकबा 00.02 बीघा भूमि अप्रार्थी के नाम अंकित भूमि की किस्म मूलतः बंदोबस्त खतौनी सम्वत् 2022 में बिलानाम गैर काबिल काश्त "नदी" अंकित थी एवं तत्पश्चात अप्रार्थीगण के नाम से भूमि हटाकर भूमि का अंकन सरकारी खाते में पूर्ववत गैर मुमकीन भूमियों की श्रेणी में किस्म "नदी" बिलानाम गैर काबिल कास्त नदी राजस्व रेकार्ड में अंकन कराने हेतु प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में रेफरैन्स हेतु भेजे जाने के लिय एतद्द्वारा आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 29.11.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार)
अति0 जिला कलक्टर
राजसमन्द